

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, दोसा

तारीख	<p>दिनांक 13/2024 प्राचीन पत्र स्थानांतरण हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज उनवान - रामस्वरूप बनाम श्रीमती रेवामीना SDO वसवा कश्चि</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
24-11-24	<p>अति० पीठासीन अधिकारी महोदय राज कार्य में व्यस्त/अपेक्षा पर होने से सत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 7-11-24 को पेश की। R</p>	
7-11-24	<p>अति० पीठासीन अधिकारी महोदय राज कार्य में व्यस्त/अपेक्षा पर होने से सत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 14-11-24 को पेश की। R</p>	
14-11-24	<p>अति० पीठासीन अधिकारी महोदय राज कार्य में व्यस्त/अपेक्षा पर होने से सत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 21-11-24 को पेश की। R</p>	
21-11-24	<p>अति० पीठासीन अधिकारी महोदय राज कार्य में व्यस्त/अपेक्षा पर होने से सत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 28-11-24 को पेश की। R</p>	
28-11-24	<p>अधिकारता प्राचीन उपस्थित। अधिकारता क्रांची 2 व 3 नंकीन गुर्जर एंड. ने बकालतनामा पेश किया। अधिकारता क्रांची नं 2 व 3 द्वारा निवेदन किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा में विचारार्थी शुने 46/2024 अस्थायी निषेधाज्ञा प्राचीन पत्र उनवानी गोपाल बनाम रामस्वरूप वगैरे को शीघ्र निस्तारण देह अन्य सहाय न्यायालय में स्थानांतरण किया जाना है ता कोई आपत्ति नहीं है। अधिकारता क्रांची नं 2 व 3 के कथन पर मसन किया एवं पत्रावली का अन्वेषण किया गया। अधिकारता क्रांची नं 2 व 3 द्वारा दानापाने जाहिर करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा में विचारार्थी शुने 46/2024 अस्थायी निषेधाज्ञा प्राचीन पत्र उनवानी गोपाल बनाम रामस्वरूप वगैरे को अन्य सहाय न्यायालय में स्थानांतरण करने बाबत प्राचीन रामस्वरूप उपस्थित जाहिर मीना निवासी करनाबर तहसील बसवा ... आदि।</p>	<p>म. नं. 1 R</p>



अति० जिला कलक्टर
दोसा



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>जिला दौसा डायरिस न्यायालय में उपर्युक्त पत्रिका पर स्वाभाविक स्वीकार किया जाता है। उपर्युक्त अधिकारी बंसवा को निर्दिष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त संबंधित पत्रिका न्यायालय उपर्युक्त अधिकारी बांडीमुई में मिजवाके, उपर्युक्त अधिकारी बांडीमुई उग्रपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उपर्युक्त का शीघ्र निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उग्रपक्ष अथवा अधिकार उग्रपक्ष दिनांक 18-12-2024 को न्यायालय उपर्युक्त अधिकारी बांडीमुई में उपस्थित होकर निर्णय की प्रति उपर्युक्त अधिकारी बंसवा एवं उपर्युक्त अधिकारी बांडीमुई को मिजवाके जाके पत्रिका फैसलेशुमार से जागरूकता से कम हो एवं वाद प्रति उपर्युक्त अधिकारी की जाके। निर्णय आज दिनांक 28-11-2024 को मेरे द्वारा मुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(Signature)
(सुनित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर
दौसा (राज.)